

बिहार सरकार  
विधि विभाग

**!! कार्यालय आदेश !!**

का०आ०सं०-बी०/मु०स्था०-०१-०७/२००६/१५५/जे०, दिनांक-२६.११.१५.

पूर्व में निर्गत विधि विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-१३९/जे०, दिनांक-२७.११.२०१४ सह-पठित-ज्ञापांक-८०८०/जे०, दिनांक-२८.११.२०१४ को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए सभी विधि पदाधिकारियों, कनीय अधिवक्ताओं, अपर लोक अभियोजकों, पटना, राँची एवं अन्य सभी विशेष लोक अभियोजकों के १,००,०००/- (एक लाख) रूपये तक के शुल्क विपत्र को विशेष सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी के द्वारा अनुमोदन एवं पारित किया जायेगा।

२. विधि विभागीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक-८०८०/जे०, दिनांक-२८.११.२०१४ के शेष कंडिकायें यथावत् रहेंगी।

३. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-संजय कुमार

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक .....७५९८...../जे० पटना, दिनांक २६-११-१५

प्रतिलिपि:- विभागीय पदाधिकारियों/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/श्री उज्ज्वल कुमार दुबे, विशेष सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना/श्री मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना/श्री संजय कुमार, अवर सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-सी-१ एवं सी०-२, विधि विभाग, बिहार, पटना एवं प्रशाखा-सी० के सहायकगण तथा आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार)

सरकार के सचिव, बिहार।

२६/११/१५